40

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–रीवा

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/6240

1 जनार्दन प्रसाद पुत्र श्री रामायण प्रसाद
2 रामकुमार तनय बल्देव प्रसाद ब्राहम्ण
3 मु0 देवकली बेवा पत्नी मधुसूदन ब्राहम्ण
4 त्रिवेणी प्रसाद पुत्र श्री जगदेव प्रसाद ब्राहम्ण
5 रामशहोदर पुत्र श्री जगदेव प्रसाद ब्राहम्ण
6 हीरामणि पुत्र श्री जगदेव प्रसाद ब्राहम्ण
निवासी – गाम बावनगढ़ तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.
7 शत्रुधन प्रसाद पुत्र श्री शिवप्रसाद ब्राहम्ण
8 राकेश कुमार पुत्र श्री मुरलीधर ब्राहम्ण
9 मु0 प्रेमवती बेवा पत्नी मुरलीधर ब्राहम्ण
निवासीगण – माजन राममनोहर तहसील हनुमना जिला – रीवा (म0प्र0)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

रामपदारथ पुत्र श्री शिवप्रसाद
निवासी – माजन रामप्रसाद तहसील हनुमना जिला -- रीवा (म0प्र0)

–– अनावेदक

श्री ओमी चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज 21.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.1.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

21/12/17

**<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ–27/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायायल अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने है।
2. यहकि, नायब तहसीलदार वृत खटखरी के आदेश दिनांक 20.07.2016 के

(39)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग०/रीवा/भू०रा०/2017/6240

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6/2/19 | इस प्रकरण में दिनांक 27/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 22/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16/11/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br><br>सदस्य 6/2/19 | |